झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने)
हिनू, राँची–834002

ज्ञापांक–रा0आ0आ0 वाद सं0–19/2019– 581 राँची, दिनांक– 27.12.19

कोर्ट नोटिस

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम।

विषयः– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा पारित आदेश के अनुपालन नहीं किये जाने के संबंध में नोटिस।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सिराज दत्ता एवं अन्य से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में आयोग के पत्रांक 18 दिनांक 10.04.2019 द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम से मामले में सुनवाई कर नियमानुकूल आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पत्रांक 60(A) दिनांक 11.06.2019 द्वारा मामले की सुनवाई कर पारित आदेश की प्रति आयोग को उपलब्ध कराया गया है।

ज्ञातव्य हो कि मामले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अबतक आपके द्वारा आयोग को अप्राप्त है।

ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 33 के अनुसार,

''कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य खाद्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा सिफारिश किये गये अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश का जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जायेगा, पांच हजार रूपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा''

प्रस्तुत मामले में आपके द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न किया जाना एवं शिकायतकर्त्ताओं को अधिनियम में प्रदत्त उनके अधिकारों से वंचित रखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 3, 8 एवं धारा 33 का उल्लंघन है। अतः स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिनियम की धारा 33 के तहत् कार्रवाई की जाय?

इस हेतु दिनांक 21.01.2020 को अपराह्न 12:00 बजे आयोग के कार्यालय में सुनवाई निर्धारित है।

अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि एवं समय को आयोग के कार्यालय में अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा अपना पक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

26/12/2019

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\HP\Dropbox\Ziyaul\Vinod Sir\Court Notice.docx7

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002

email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

ज्ञापांकः– रा0आ0आ0 वाद सं0–19/2019– 581 राँची, दिनांक– 27.12.19

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम/जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/2019

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0आ0आ0 वाद सं0–19/2019– 581 राँची, दिनांक– 27.12.19

प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/2019

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0आ0आ0 वाद सं0–19/2019– 581 राँची, दिनांक– 27.12.19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/2019.

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

O/C

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002

email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261